पत्र सं0- सिं.को.-43/2017- 36

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक

त्रिपुरारि शरण,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, डिहरी/औरंगाबाद/गया/नालन्दा/भागलपुर/
दरभंगा/सहरसा/मोतीहारी/सिवान ।

पटना, दिनांक- 16.01.2019

विषय- रब्बी सिंचाई अनुदेश 2018-19

महाशय,

रब्बी सिंचाई अभियान 2018-19 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को योजनाबद्ध तरीके से रब्बी उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक ढ़ंग से समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष 2018-19 में रब्बी सिंचाई लक्ष्य का निर्धारण मुख्यत: क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से प्रस्तावित लक्ष्य/विगत वर्षो का अधिकतम सिंचाई एवं सी0सी0ए0 को आधार मान कर वितरणी एवं लघु नहर स्तर तक किया गया है । नहरों के निर्धारित लक्ष्य की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।
2. इस वर्ष रब्बी मौसम में राज्य के जल संसाधन विभाग की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से **6.53** लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । रब्बी 2018-19 के लिए मुख्य अभियन्ताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । रब्बी सिंचाई के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :-

I. नहरों के प्रत्येक लॉक पर सिंचाई अवधि में एक दैनिक पंजी रखी जायेगी जिसमें प्रभारी पदाधिकारी हस्ताक्षर दर्ज करेगें एवं प्रत्येक सप्ताह संबंधित पंचायत या कृषक समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा ।

II. उपर्युक्त निरीक्षण प्रक्रिया कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित असैनिक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी संयुक्त रुप से अपनायी जायेगी ।

III. नहरो में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा रब्बी 2018-19 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय ताकि लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

IV. रब्बी सिंचाई 2018-19 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए सिंचाई उपलब्धि की सूचना साप्तांहात में विभागीय सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल, पटना को अवश्य उपलब्ध करा देगे । सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्रतिदिन नहरों का खैरियत प्रतिवेदन देना भी सुनिश्चित करेगें ।

V. नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-यो0मो0 4-कार्य 10-1400/2001-220 दिनांक-12-04-2004 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरुप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियन्ता मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगे । जहाँ तातिल प्रथा लागू नही है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी लिए जाने की शिकायतें है, वहाँ इस पर विशेष ध्यान देंगे तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातिल प्रथा लागू कर पानी छोड़ने की व्यवस्था करेंगे । तातिल व्यवस्था में व्यवधान आने पर संबंधित जिलाधिकारी से सहायता प्राप्त करेगें और इसकी सूचना सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को देंगे ।

VI. तातिल प्रथा से संबंधित कार्यपालक अभियंता नियमित रूप से स्थल भ्रमण कर कृषकों की कठिनाईयों को दूर करेगें । साथ ही प्रत्येक कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ।

VII. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उप वितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से गश्ती करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन पक्षवार सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करावेंगे ।

VIII. मुख्य शीर्ष एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर की जाय । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेंगें तथा की गयी दैनिक कार्रवाई से संबंधित सूचना सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करावेंगे ।

IX. सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं प्रत्येक अनुमंडल को एक कमांड मैप होना चाहिये जो ग्रामीण नक्शे पर अंकित रहेगा । कनीय अभियन्ता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेगें तथा इसका भी लेखा रखेगें कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेंगे । नक्शा उपलब्ध नहीं होने पर कार्यपालक अभियन्ता पूर्णरुपेण व्यक्तिगत रुप से जिम्मेवार होगे ।

X. उपलब्ध पानी में कमी के कारण इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेंगे ।

XI. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रतिवेदन नियमित रुप से प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक विभाग को प्राप्त होता रहे एवं इससे सम्बन्धित साप्ताहिक सिंचाई प्रतिवेदन प्रमंडलवार, जिलावार, प्रखण्डवार एवं प्रणालीवार विहित प्रपत्र में नियमित रुप से विभागीय सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को समय पर भेजना सुनिश्चित करेगें ।

3. रब्बी सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। प्रत्येक पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य में लगे है, उनका यह प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से उपलब्धि अधिक हो । जिसके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सिंचाई होगा वे प्रशस्ति पत्र के अधिकारी होंगे तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से उपलब्धि कम होगी उनकी चारित्री में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायगी ।

अनुलग्नक:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2018-19

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 15/1/19

(त्रिपुरारि शरण)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- सिं.को.-43/2017- 36 /पटना, दिनांक- 16.01.2019

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ आयुक्त, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग, बिहार/ कृषि उत्पादन आयुक्त/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2018-19

Sd/- 15.1.19

(त्रिपुरारि शरण)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- सिं.को.-43/2017- 36 /पटना, दिनांक- 16.01.2019

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2018-19

Sd/- 15.1.19

(त्रिपुरारि शरण)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
रब्बी सिंचाई 2018-19 का लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	रब्बी 2018-19 हेतु प्रभावी सी०सी०ए०	वित्त वर्ष 2017-18 का लक्ष्य	वित्त वर्ष 2017-18 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2018-19 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2018-19 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (प्रभावी सी.सी. के विरूद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	483401	483401	229,883	223,613	229623	231396	47.87	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	59017	59017	30,158	30,158	25863	30175	51.13	
	मध्यम सिंचाई योजना	72941	70955	12,392	12,480	12482	12482	17.59	पानी की कमी
	कुल	**615359**	**613373**	**272433**	**266251**	**267968**	**274053**	44.68	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	**151483**	**151483**	**275**	**290**	**290**	**290**	0.19	पानी की कमी
गया	मध्यम सिंचाई योजना	57797	54678	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	24208	3595	355	355	0	0	0.00	पुनर्स्थापन कार्य
	कुल	**82005**	**58273**	**355**	**355**	**0**	**0**	0.00	
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	73586	63474	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54227	54227	15,656	14,506	14506	15052	27.76	
	पटना मुख्य नहर	77601	77601	24,536	24,536	25336	27941	36.01	
	मध्यम सिंचाई योजना	16156	12246	0	243	0	0	0.00	पानी की कमी
	कुल	**221570**	**207548**	**40192**	**39285**	**39842**	**42993**	20.71	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	594730	594730	3700	2365	177073	177405	29.83	
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	110977	2116	2114	2114	2114	1.90	नहर निर्माणाधीन
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	36606	36068	2308	2308	2308	2308	6.40	पुनर्स्थापन कार्य
	कुल	**239906**	**147045**	**4424**	**4422**	**4422**	**4422**	3.01	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	571665	480665	98524	79635	152509	154065	32.05	
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	366577	320000	0	0	0	0	0.00	पुनर्स्थापन कार्य
	कुल (गंडक परियोजना):-	**938242**	**800665**	**98524**	**79635**	**152509**	**154065**	19.24	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	69312	69312	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी एवं पुनर्स्थापन कार्य
	बदुआ जलाशय योजना	36664	36664	0	0	0	0	0.00	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	116025	95258	10,129	6,206	0	0	0.00	
	कुल(भागलपुर परिक्षेत्र):-	**222001**	**201234**	**10129**	**6206**	**0**	**0**	0.00	
	कुलयोग	**3065296**	**2774351**	**430032**	**398809**	**642104**	**653228**	23.55	